Office of the Principal, Janki Devi Bajaj Government Girls College
Near Antaghar Circle Nayapura, Kota
Email Address- jdbcollege@gmail.com/ggsckota@gmail.com
Phone & Fax No. 0744-2324074

Data Validation and Verification (DVV)

2.1.1: Enrolment percentage

1. Document related to sanction of intake from affiliating University/ Government/statutory body for first year students.

Office of the Principal, Janki Devi Bajaj Government Girls College
Near Antaghar Circle Nayapura, Kota
Email Address- jdbcollege@gmail.com/ggsckota@gmail.com
Phone & Fax No. 0744-2324074

Sanction of Intake for UG First Year Students (English version)

Year 2017-18

Program	Section	SC	ST	OBC	MBC	EWS	GEN	TOTAL
B. Sc.	A	14	10	18	4	0	38	84
	B	14	10	18	4	0	38	84
	C	14	10	18	4	0	38	84
	D	14	10	18	4	0	38	84
	E	14	10	18	4	0	38	84
	F	14	10	18	4	0	38	84
	G	14	10	18	4	0	38	84
								588

Year 2018-19

Program	Section	SC	ST	OBC	MBC	EWS	GEN	TOTAL
B. Sc.	A	14	10	18	1	0	45	88
	B	14	10	18	1	0	45	88
	C	14	10	18	1	0	45	88
	D	14	10	18	1	0	45	88
	E	14	10	18	1	0	45	88
	F	14	10	18	1	0	45	88
	G	14	10	18	1	0	45	88
						0		**616**

Year 2019-20

Program	Section	SC	ST	OBC	MBC	EWS	GEN	TOTAL
B. Sc.	A	14	10	18	4	8	34	88
	B	14	10	18	4	8	34	88
	C	14	10	18	4	8	34	88
	D	14	10	18	4	8	34	88
	E	14	10	18	4	8	34	88
	F	14	10	18	4	8	34	88
	G	14	10	18	4	8	34	88
								616

Year 2020-21

Program	Section	SC	ST	OBC	MBC	EWS	GEN	TOTAL
B. Sc.	A	14	10	18	4	8	34	88
	B	14	10	18	4	8	34	88
	C	14	10	18	4	8	34	88
	D	14	10	18	4	8	34	88
	E	14	10	18	4	8	34	88
	F	14	10	18	4	8	34	88
	G	14	10	18	4	8	34	88
								616

Program	Section	SC	ST	OBC	MBC	EWS	GEN	TOTAL
B. Sc.	A	14	10	18	4	8	34	88
	B	14	10	18	4	8	34	88
	C	14	10	18	4	8	34	88
	D	14	10	18	4	8	34	88
	E	14	10	18	4	8	34	88
	F	14	10	18	4	8	34	88
	G	14	10	18	4	8	34	88
								616

प्राचार्य
जा.दे.ब.राजकीय कन्या महाविद्यालय,
कोटा

Office of the Principal, Janki Devi Bajaj Government Girls College
Near Antaghar Circle Nayapura, Kota
Email Address- jdbcollege@gmail.com/ggsckota@gmail.com
Phone & Fax No. 0744-2324074

Sanction of Intake for PG First Semester Students (English version)

Year	Section	Sanction of intake for PG FIRST SEMESTER						
		SC	ST	OBC	MBC	EWS	GEN	TOTAL
2017-18	Botany	3	2	4	1	0	10	**20**
	Chemistry	5	4	6	2	0	13	**30**
2018-19	Botany	5	4	6	1	0	14	**30**
	Chemistry	6	5	8	1	0	20	**40**
	Maths	6	5	8	1	0	20	**40**
	Physics	3	2	4	1	0	10	**20**
	Zoology	3	2	4	1	0	10	**20**
2019-20	Botany	5	4	6	2	3	10	**30**
	Chemistry	6	5	8	2	4	15	**40**
	Maths	6	5	8	2	4	15	**40**
	Physics	3	2	4	1	2	8	**20**
	Zoology	3	2	4	1	2	8	**20**
2020-21	Botany	5	4	6	2	3	10	**30**
	Chemistry	6	5	8	2	4	15	**40**
	Maths	6	5	8	2	4	15	**40**
	Physics	3	2	4	1	2	8	**20**
	Zoology	3	2	4	1	2	8	**20**
2021-22	Botany	5	4	6	2	3	10	**30**
	Chemistry	6	5	8	2	4	15	**40**
	Maths	6	5	8	2	4	15	**40**
	Physics	3	2	4	1	2	8	**20**
	Zoology	5	4	6	2	3	10	**30**

Praveen
प्रवीण भार्गव
परीक्षा नियंत्रक
कोटा विश्वविद्यालय कोटा

प्राचार्य
जा.दे.ब.राजकीय कन्या महाविद्यालय,
कोटा

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://htc.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांकः एफ7(4)अकाद / आकाशि / प्रवेशनीति / 2021–22 / 412 / 249-55   दिनांकः 19 अगस्त, 2021

:: कार्यालय आदेश ::

समस्त राजकीय महाविद्यालयों में सत्र 2019–20 से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) तथा अति पिछडा वर्ग (MBC)के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश में क्रमशः 10 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया था।

अति पिछडा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नवीन आरक्षण प्रावधानों के मद्दे नजर सभी संकायों में स्नातक पार्ट प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सीटों में 25 प्रतिशत की अभिवृद्धि करते हुए कला एवं वाणिज्य संकाय के प्रत्येक सेक्शन में सीटों की संख्या 100 तथा विज्ञान संकाय में सीटों की संख्या 88 की जाती है। प्रवेश के समय सभी आरक्षित वर्ग के आवेदकों को बढी हुई संख्या के आधार पर नियमानुसार आरक्षण दिया जायेगा।

स्नातक पार्ट प्रथम वर्ष में सभी संकायों में वर्तमान सत्र 2021–22 में सीट मैट्रिक्स निम्नानुसार रहेगी

संकाय / वर्ग	कुल संख्या	सामान्य	अनु. जाति	अनु. जन जाति	अन्य पिछडा वर्ग	अति पिछडा वर्ग	EWS
कला / वाणिज्य	100	36	16	12	21	05	10
विज्ञान	88	34	14	10	18	04	08

स्नातक पार्ट प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया में उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित की जावे।

नोट :– यह सीट मैट्रिक्स सांकेतिक है। सीट मैट्रिक्स का निर्धारण महाविद्यालय में संधारित रोस्टर रजिस्टर के अनुसार किया जाए। **यह अभिवृद्धि केवल सत्र 2021–22 के लिए मान्य होगी।**

(संदेश नायक IAS)
आयुक्त

प्रतिलिपि –

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. कुल सचिव, सम्बद्धक विश्वविद्यालय, राजस्थान।
5. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
6. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय को अपलोड / ई–मेल करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. सौमित्र नाथ झा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ7(4)अकाद / आकाशि / प्रवेशनीति / 2020–21 / 994 दिनांक: 24/6/2020

:: कार्यालय आदेश ::

समस्त राजकीय महाविद्यालयों में सत्र 2019–20 से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश में क्रमशः 10 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया था।

अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नवीन आरक्षण प्रावधानों के मध्य नजर सभी संकायों में स्नातक पार्ट प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सीटों में 25 प्रतिशत की अभिवृद्धि करते हुए कला एवं वाणिज्य संकाय के प्रत्येक सेक्शन में सीटों की संख्या 100 तथा विज्ञान संकाय में सीटों की संख्या 88 की जाती है। प्रवेश के समय सभी आरक्षित वर्ग के आवेदकों को बढ़ी हुई संख्या के आधार पर नियमानुसार आरक्षण दिया जायेगा।

स्नातक पार्ट प्रथम वर्ष में सभी संकायों में वर्तमान सत्र 2020–21 में सीट मैट्रिक्स निम्नानुसार रहेगी –

संकाय / वर्ग	कुल संख्या	सामान्य	अनु. जाति	अनु. जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अति पिछड़ा वर्ग	EWS
कला / वाणिज्य	100	36	16	12	21	05	10
विज्ञान	88	34	14	10	18	04	08

स्नातक पार्ट प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया में उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित की जावे।

नोट :– यह अभिवृद्धि केवल सत्र 2020–21 के लिए मान्य होगी।

(प्रदीप कुमार बोरड IAS)
आयुक्त

प्रतिलिपि –

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. कुल सचिव, सम्बद्धक विश्वविद्यालय, राजस्थान।
4. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
5. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय को अपलोड / ई–मेल करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

24/6/2020

(डा. दीपक महरा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफ.7(4)अकाद / आकाशि / प्रवेश नीति / 19 / 109 दिनांकः 10.06.2019

:: कार्यालय आदेश ::

समस्त राजकीय महाविद्यालयों में सत्र 2019-20 के लिए सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश में क्रमशः 10 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया है।

अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नवीन आरक्षण प्रावधानों के मध्यनजर सभी संकायों में स्नातक पार्ट प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सीटों में 25 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये कला एवं वाणिज्य संकाय के प्रत्येक सैक्शन में सीटों की संख्या 100 तथा विज्ञान संकाय में सीटों की संख्या 88 की जाती है। प्रवेश के समय सभी आरक्षित वर्ग के आवेदकों को बढ़ी हुई संख्या के आधार पर नियमानुसार आरक्षण दिया जायेगा।

स्नातक पार्ट प्रथम वर्ष सभी संकायों में वर्तमान सीटों की संख्या में 25 प्रतिशत वृद्धि के पश्चात् श्रेणीवार सीटों की संख्या निम्नलिखित प्रकार से रहेंगी-

संकाय / वर्ग	कुल संख्या	सामान्य	अनु. जाति	अनु. जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अति पिछड़ा वर्ग	EWS
कला / वाणिज्य	100	36	16	12	21	05	10
विज्ञान	88	34	14	10	18	04	08

स्नातक पार्ट प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया में उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित की जावें।

प्रदीप कुमार बोरड़, IAS
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफ.7(4)अकाद / आकाशि / प्रवेश नीति / 19 / 109 दिनांकः 10.06.2019

प्रतिलिपि-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. कुल सचिव, सम्बद्धक विश्वविद्यालय, राजस्थान।
4. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय,राजस्थान।
5. वेबसाइट प्रभारी को अपलोड / ई-मेल करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

प्रदीप कुमार बोरड़, IAS
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर

Scanned by CamScanner

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 4(406)अकाद/निकाशि/2013-14/1097 दिनांकः 19 जुलाई, 2018

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः सत्र 2018-19 में स्नातक पार्ट प्रथम में सीटें बढ़ाने के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में समस्त राजकीय महाविद्यालयों के स्नातक (पास एवं ऑनर्स कोर्स) पार्ट प्रथम में प्रवेश के लिए लम्बित आवेदनों की अधिकता को देखते हुए सत्र 2018-19 हेतु स्नातक पाठ्यक्रमों के सभी संकायों में (विधि संकाय को छोडकर) संलग्न सूची में कमांक 1 से 488 तक के महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यकमों में प्रवेश के लिए स्वीकृत सीटों में 25 प्रतिशत तथा कमांक 489 से 504 तक के महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यकमों में प्रवेश के लिए स्वीकृत सीटों में 10 प्रतिशत की अभिवृद्वि की जाती है। यह अभिवृद्वि सत्र 2018-19 के लिए ही है।

इस प्रक्रिया के लिए नवीन आवेदन प्रपत्र आमंत्रित नहीं किये जावे। इस हेतु लम्बित आवेदन प्रपत्रों के अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर दिया जावेगा। लम्बित आवेदन-पत्र नहीं होने की स्थिति में प्रवेश के लिये सीट रिक्त रहने पर पूर्व में डिफाल्टर स्टूडेंट्स को भी प्रवेश का अवसर प्रदान किया जाये।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

19/7

(आशुतोष ए.टी.पेडणेकर)
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं
शासन सचिव,उच्च शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर

क्रमांकः एफ 4(406)अकाद/निकाशि/2013-14/1097 दिनांकः 19 जुलाई, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, माननीया उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, सूचना एवं प्रौद्यौगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. कुल सचिव, विश्वविद्यालय, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/उदयपुर/अलवर/सीकर/भरतपुर ।
5. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय। कृपया उक्त पत्र को आयुक्तालय की वेबसाईट पर अपलोड़ करने का श्रम करें।

(डॉ. ज्योत्स्ना भारद्वाज)
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 4(406)अकाद/निकाशि/2013–14/739 दिनांकः 13 जुलाई, 2017

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः सत्र 2017–18 में स्नातक पार्ट प्रथम में सीटें बढ़ाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में समस्त राजकीय महाविद्यालयों के स्नातक पार्ट प्रथम में प्रवेश के लिए लम्बित आवेदनों की अधिकता को देखते हुए सत्र 2017–18 हेतु स्नातक पाठ्यक्रमों के सभी संकायों में (विधि संकाय को छोडकर) प्रत्येक महाविद्यालय में प्रवेश के लिए स्वीकृत सीटों में 20 प्रतिशत की अभिवृद्धि की जाती है। यह अभिवृद्धि सत्र 2017–18 के लिए ही है। तीनों संकायों में स्वीकृत वर्गो में निम्नानुसार प्रवेश दिया जाएगा।

संकाय	नियत सीटें प्रति वर्ग	सत्र 2017–18 के लिये संशोधित सीटें प्रति वर्ग
विज्ञान	70	84
कला	80	96
वाणिज्य	80	96

इस प्रक्रिया के लिए नवीन आवेदन प्रपत्र आमंत्रित नहीं किये जावे इस हेतु लम्बित आवेदन प्रपत्रों के अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर दिया जावेगा।

भवदीया,

ब चक्रवर्ती

(डॉ. बन्दना चक्रवर्ती)
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)

क्रमांकः एफ 4(406)अकाद/निकाशि/2013–14/739 दिनांकः 13 जुलाई, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. विशिष्ट सहायक, माननीया उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, सूचना एवं प्रौद्यौगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. कुल सचिव, विश्वविद्यालय, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/उदयपुर/अलवर/सीकर/भरतपुर ।
5. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय। कृपया उक्त पत्र को आयुक्तालय की वेबसाईट पर अपलोड़ करने का श्रम करें।

ब चक्रवर्ती

(डॉ. बन्दना चक्रवर्ती)
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांकः एफ 7(4)प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि/2021–22/239 दिनांकः 16 अगस्त, 2021

प्राचार्य,
समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः प्रवेश नीति सत्र 2021–22 बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अकादमिक सत्र 2021–22 हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रवेश नीति आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर की वेबसाईट पर अपलोड कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रवेश नीति के अनुरूप ही महाविद्यालय में प्रवेश कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित करें।

भवदीय,

(संदेश नायक, IAS)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/ उदयपुर।
2. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।

(डॉ. सौमित्र नाथ झा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

General Letter Admission

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रवेश नीति 2021–22

(राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों के लिए)

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रवेश नीति	
	प्रथम भाग : प्रस्तावना एवं उद्देश्य	3–4
	द्वितीय भाग : स्नातक पार्ट प्रथम में प्रवेश के नियम	5–8
	तृतीय भाग : स्नातकोत्तर एवं एम. फिल. पाठ्यक्रम में प्रवेश के नियम	9–12
	चतुर्थ भाग : विधि संकाय में प्रवेश के नियम	13–14
	पंचम भाग : सभी संकायों हेतु सामान्य नियम	15–21
	षष्ठ भाग : आरक्षण, रियायतें एवं लाभ	22–33

षष्ठम् भाग

आरक्षण, रियायतें एवं लाभ

6.1 राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछडा वर्ग (MBC) **(क्रीमीलेयर को छोड़कर)**/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो (EWS) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण।

6.1.1 प्रत्येक संकाय की स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल. में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछडा वर्ग (MBC) **(क्रीमीलेयर** को छोडकर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिये कमशः 16 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 21 प्रतिशत, 5 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

6.1.2 पिछड़ा वर्ग को प्राप्त 21 प्रतिशत आरक्षण में अति पिछड़ा वर्ग भी सम्मिलित है एवं इसके अतिरिक्त अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत का अलग से स्थान देय है {संदर्भ कार्मिक (क–2) विभाग के आदेश कमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/2017 दिनांक 28.02.2019, राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग के आदेश कमांक प.18(2)शिक्षा–4/2014 रिजर्वेशन दिनांक 07.03.2019} /आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की पालना सुनिश्चित की जावे। {सन्दर्भ कार्मिक (क–2) विभाग के आदेश कमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/2019 दिनांक 22.02.2019, राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग के आदेश कमांक प.18(2)शिक्षा–4/ 2014 रिजर्वेशन दिनांक 07.03.2019}

6.1.3 **स्नातक,** स्नातकोत्तर व एम. फिल कक्षाओं में आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रोस्टर प्रणाली लागू होगी।

6.1.4 आरक्षण संबधी लाभ के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट/उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर/तहसीलदार का राजस्थान राज्य की सेवाओं में आरक्षण का लाभ लेने हेतु जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6.1.5 ओ.बी.सी./एम.बी.सी. संबंधी प्रमाण–पत्र अधिकृत अधिकारी द्वारा एक बार ही जारी किया जाता है, परन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण–पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण–पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्षो में भी क्रीमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में स्वप्रमाणित शपथ–पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण–पत्र को ही मान लिया जावेगा। ऐसा अधिकतम् तीन वर्ष **(प्रथम वर्ष मूल प्रमाण–पत्र व शपथ पत्र के साथ आगामी दो वर्षो तक)** तक किया जा सकता है। (राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का आदेश क्रमांक एफ11( )( ) आर एण्ड पी/सा.न्या.अ.वि/12/7376 – 409 दि. 24.01.2013)

6.1.6 सामान्य प्रवेश स्तर तक अंक प्राप्त करके प्रवेश पाने वाले आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की गणना संबंधित आरक्षित नियतांश (कोटे) के अन्तर्गत नहीं की जायेगी। ये सभी सामान्य योग्यता सूची में सम्मिलित किये हुए माने जायेंगे।

6.1.7 6.1.6 के अनुसार प्रविष्ट विद्यार्थियों के अतिरिक्त आरक्षित वर्ग के शेष अभ्यर्थियों को अर्हकारी परीक्षा के प्रवेश योग्यता प्रतिशत को कम करते हुए वरीयता के निम्नगामी क्रम में आरक्षित नियतांश पूर्ण होने तक प्रवेश दिया जा सकेगा।

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक :प. 7 (4) अकाद/ आकाशि/प्रवेश नीति /2020–21/997 दिनांक : 25.6.2020

समस्त
प्राचार्य, राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान ।

विषय :– राज्य सरकार द्वारा अकादमी सत्र 2020–21 के लिए निर्धारित प्रवेश नीति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रवेश नीति एवं प्रवेश प्रक्रिया, केन्द्र एवं राज्य सरकार एडवाईजरी कोविड–19 के मध्यनजर अकादमी सत्र 2020–21 की प्रवेश नीति आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर की वेबसाईट पर अपलोड कर दी गई, जिसे वेबसाईट से डाउनलोड कर महाविद्यालय में प्रवेश कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित करें।

(प्रदीप कुमार बोरड)
आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :प. 7 (4) अकाद/ आकाशि/प्रवेश नीति /2020–21/ दिनांक :

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर /उदयपुर।
2. वेब प्रभारी अधिकारी आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।

(डा0. दीपक मेहरा)
संयुक्त निदेशक, अकादमिक

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रवेश नीति 2020–21

(राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों के लिए)

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रवेश नीति	
	प्रथम भाग : प्रस्तावना एवं उद्देश्य	3–4
	द्वितीय भाग : स्नातक पार्ट प्रथम में प्रवेश के नियम	5–8
	तृतीय भाग: स्नातकोत्तर एवं एम. फिल. पाठ्यक्रम में प्रवेश के नियम	9–12
	चतुर्थ भाग : विधि संकाय में प्रवेश के नियम	13–14
	पंचम भाग : सभी संकायों हेतु सामान्य नियम	15–21
	षष्ठ भाग : आरक्षण, रियायतें एवं लाभ	22–33

षष्ठम् भाग
आरक्षण, रियायतें एवं लाभ

6.1 राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग (MBC) (चिकनी परत को छोड़कर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों **(EWS)** के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण।

6.1.1 विधि संकाय सहित प्रत्येक संकाय की स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल. में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग **(MBC)** (चिकनी परत को छोड़कर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग **(EWS)** के अभ्यर्थियों के लिये क्रमशः 16 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 21 प्रतिशत, 5 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

6.1.2 पिछड़ा वर्ग को प्राप्त 21 प्रतिशत आरक्षण में अति पिछड़ा वर्ग भी सम्मिलित है एवं इसके अतिरिक्त अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत का अलग से स्थान देय है {संदर्भ कार्मिक (क–2) विभाग के आदेश क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/2017 दिनांक 28.02.2019, राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग के आदेश कमांक प.18(2)शिक्षा–4/2014 रिजर्वेशन दिनांक 07.03.2019} /आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की पालना सुनिश्चित की जावे। {सन्दर्भ कार्मिक (क–2) विभाग के आदेश क्रमांक प. 7(1)कार्मिक/क–2/2019 दिनांक 22.02.2019, राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग के आदेश कमांक प.18(2)शिक्षा–4/ 2014 रिजर्वेशन दिनांक 07.03.2019}

6.1.3 स्नातकोत्तर व एम. फिल कक्षाओं में आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रोस्टर प्रणाली लागू होगी।

6.1.4 आरक्षण संबधी लाभ के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट/उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर/तहसीलदार का राजस्थान राज्य की सेवाओं में आरक्षण का लाभ लेने हेतु जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6.1.5 ओ.बी.सी./एम.बी.सी. संबधी प्रमाण–पत्र अधिकृत अधिकारी द्वारा एक बार ही जारी किया जाता है, परन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण–पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण–पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्षों में भी क्रीमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में स्वप्रमाणित शपथ–पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण–पत्र को ही मान लिया जावेगा। ऐसा अधिकतम् तीन वर्ष तक किया जा सकता है। (राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का आदेश क्रमांक एफ11( )( ) आर एण्ड पी/सा.न्या.अ.वि/12/7376–409 दि. 24.01.2013)

6.1.6 सामान्य प्रवेश स्तर तक अंक प्राप्त करके प्रवेश पाने वाले आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की गणना संबंधित आरक्षित नियतांश (कोटे) के अन्तर्गत नहीं की जायेगी। ये सभी सामान्य योग्यता सूची में सम्मिलित किये हुए माने जायेंगे।

6.1.7 6.1.6 के अनुसार प्रविष्ट विद्यार्थियों के अतिरिक्त आरक्षित वर्ग के शेष अभ्यर्थियों को अर्हकारी परीक्षा के प्रवेश योग्यता प्रतिशत को कम करते हुए वरीयता के निम्नगामी क्रम में आरक्षित नियतांश पूर्ण होने तक प्रवेश दिया जा सकेगा।

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/आकाशि/प्रवेश नीति/19/58-59 दिनांकः 27 मई, 2019

प्राचार्य,
समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः राज्य सरकार की प्रवेश नीति एवं प्रवेश प्रकिया अकादमी सत्र 2019–20।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रवेश नीति एवं प्रवेश प्रकिया अकादमी सत्र 2019–20 आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर की वेबसाईट पर अपलोड कर दी गई है। जिसे वेबसाईट से डाउनलोड कर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रवेश नीति एवं प्रवेश प्रकिया के अन्तर्गत महाविद्यालय में प्रवेश कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित करें।

भवदीय,

(प्रदीप कुमार बोरड)
आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ठ शासन सचिव,
उच्च शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर।
2. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।

27/5/19

(डॉ0 आर.सी. मीना)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

Scanned by CamScanner

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रवेश नीति 2019-20
(राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों के लिए)

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

27/5/19

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण		पृष्ठ संख्या
1.	प्रवेश नीति		
	प्रथम भाग	प्रस्तावना एवं उद्देश्य	1–2
	द्वितीय भाग	स्नातक पार्ट प्रथम में प्रवेश के नियम	3–7
	तृतीय भाग	स्नातकोत्तर एवं एम. फिल. पाठ्यक्रम में प्रवेश के नियम	8–11
	चतुर्थ भाग	विधि संकाय में प्रवेश के नियम	12–13
	पंचम भाग	सभी संकायों हेतु सामान्य नियम	14–20
	षष्ठ भाग	आरक्षण, रियायतें एवं लाभ	21–32
2.	राज्य सरकार का परसेन्टाइल आधारित प्रवेश प्रक्रिया संबंधी आदेश दिनांक 10.06.14 एवं 19.06.14		

Scanned by CamScanner

षष्ठ भाग
आरक्षण, रियायतें एवं लाभ

6.1 राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व **अति पिछडा वर्ग (MBC)**(चिकनी परत को छोड़कर)/**आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो** के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण।

6.1.1 विधि संकाय सहित प्रत्येक संकाय की स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल. में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व **अति पिछडा वर्ग** (चिकनी परत को छोडकर)/**आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग** के अभ्यर्थियों के लिये क्रमशः 16 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 21 प्रतिशत, 5 **प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।**

6.1.2 पिछड़ा वर्ग को प्राप्त 21 प्रतिशत आरक्षण में **अति** पिछडा वर्ग भी सम्मिलित है एवं इसके **अतिरिक्त अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत का अलग से स्थान देय है {संदर्भ कार्मिक (क–2) विभाग के आदेश कमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/2017 दिनांक 28.02.2019, राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग के आदेश कमांक प.18(2)शिक्षा–4/2014 रिजर्वेशन दिनांक 07.03.2019} /आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की पालना सुनिश्चित की जावे। {सन्दर्भ कार्मिक (क–2) विभाग के आदेश कमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/2019 दिनांक 22.02.2019, राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग के आदेश कमांक प.18(2)शिक्षा–4/ 2014 रिजर्वेशन दिनांक 07.03.2019}**

6.1.3 स्नातकोत्तर व एम. फिल कक्षाओं में आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रोस्टर प्रणाली लागू होगी।

6.1.4 आरक्षण संबंधी लाभ के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट/उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर/तहसीलदार का राजस्थान राज्य की सेवाओं में आरक्षण का लाभ लेने हेतु जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6.1.5 ओ.बी.सी./एम.बी.सी. संबंधी प्रमाण–पत्र अधिकृत अधिकारी द्वारा एक बार ही जारी किया जाता है, परन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण–पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण–पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्षों में भी क्रीमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में स्वप्रमाणित शपथ–पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण–पत्र को ही मान लिया जावेगा। ऐसा अधिकतम् तीन वर्ष तक किया जा सकता है। (राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का आदेश क्रमांक एफ11( )( ) आर एण्ड पी/सा.न्या.अ.वि/12/7376–409 दि. 24.01.2013)

6.1.6 सामान्य प्रवेश स्तर तक अंक प्राप्त करके प्रवेश पाने वाले आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की गणना संबंधित आरक्षित नियतांश (कोटे) के अन्तर्गत नहीं की जायेगी। ये सभी सामान्य योग्यता सूची में सम्मिलित किये हुए माने जायेंगे।

6.1.7 6.1.6 के अनुसार प्रविष्ट विद्यार्थियों के अतिरिक्त आरक्षित वर्ग के शेष अभ्यर्थियों को अर्हकारी परीक्षा के प्रवेश योग्यता प्रतिशत को कम करते हुए वरीयता के निम्नगामी क्रम में आरक्षित नियतांश पूर्ण होने तक प्रवेश दिया जा सकेगा।

6.1.8 आरक्षित वर्ग हेतु आरक्षित स्थान प्रथमतः आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से ही भरे जायेंगे।

Scanned by CamScanner

अति–आवश्यक

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद / निकाशि / प्रवेश नीति / 2016 / 1045 दिनांकः 25 मई, 2018

प्राचार्य,
समस्त राजकीय / निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः राज्य सरकार की प्रवेश नीति एवं अकादमी सत्र 2018–19 के लिए प्रवेश प्रक्रिया, सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं छात्रवृत्ति कलैण्डर तथा शिक्षण दिवस सारणी ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य सरकार की प्रवेश नीति एवं अकादमी सत्र 2018–19 के लिए प्रवेश प्रक्रिया, सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं छात्रवृत्ति कलैण्डर तथा शिक्षण दिवस सारणी आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर की वेबसाईट पर अपलोड कर दी गई है, जिसे वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया जावे।

भवदीय,

अतिरिक्त आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद / निकाशि / प्रवेश नीति / 2016 / 1045 दिनांकः 25 मई, 2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर / अजमेर / कोटा / बीकानेर / जोधपुर / उदयपुर ।
2. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।

25/5/18

(डॉ0 ज्योत्स्ना भारद्वाज)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रवेश नीति

(राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों के लिए)

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रवेश नीति	
	प्रथम भाग प्रस्तावना एवं उद्देश्य	1–2
	द्वितीय भाग स्नातक पार्ट प्रथम में प्रवेश के नियम	3–6
	तृतीय भाग स्नातकोत्तर एवं एम.फिल. पाठ्यक्रम में प्रवेश के नियम	7–9
	चतुर्थ भाग विधि संकाय में प्रवेश के नियम	10–11
	पंचम भाग प्रवेश के सामान्य नियम	12–16
	षष्ठ भाग आरक्षण, रियायतें एवं लाभ	17–24
2.	राज्य सरकार का परसेन्टाइल आधारित प्रवेश प्रक्रिया संबंधी आदेश दिनांक 10.06.14 एवं 19.06.14	

षष्ठ भाग
आरक्षण, रियायतें एवं लाभ

6.1 राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर)/**अति पिछडा वर्ग (More Backward Class)** के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण

6.1.1 विधि संकाय सहित प्रत्येक संकाय की स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल. के प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी परत को छोडकर) /**अति** पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये क्रमशः 16 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 21 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

6.1.2 **अति पिछडा वर्ग (More Backward Class) के शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण के संबंध में कार्मिक विभाग (A-ग्रुप–II) राजस्थान सरकार की अधिसूचना F. 7 (1)DOP/A- II/2017, जयपुर दिनांक 21.12. 2017 की पालना सुनिश्चित की जावें।**

6.1.3 स्नातकोत्तर व एम. फिल कक्षाओं में आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रोस्टर प्रणाली लागू होगी।

6.1.4 आरक्षण संबंधी लाभ के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट/उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर का **राजस्थान राज्य की सेवाओं में आरक्षण का लाभ लेने हेतु जारी जाति** प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6.1.5 ओ.बी.सी./**एम.**बी.सी. संबंधी प्रमाण–पत्र अधिकृत अधिकारी द्वारा एक बार ही जारी किया जाता है, परन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण–पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण–पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्षों में भी क्रीमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में स्वप्रमाणित शपथ–पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण–पत्र को ही मान लिया जावेगा। ऐसा अधिकतम् तीन वर्ष तक किया जा सकता है। (राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का आदेश क्रमांक एफ11 ( ) ( ) आर एण्ड पी/सा.न्या.अ.वि/12/ 7376–409 दि. 24.01.2013)

6.1.6 सामान्य प्रवेश स्तर तक अंक प्राप्त करके प्रवेश पाने वाले आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की गणना संबंधित आरक्षित नियतांश (कोटे) के अन्तर्गत नहीं की जायेगी। ये सभी सामान्य योग्यता सूची में सम्मिलित किये हुए माने जायेंगे।

6.1.7 6.1.6 के अनुसार प्रविष्ट विद्यार्थियों के अतिरिक्त आरक्षित वर्ग के शेष अभ्यर्थियों को अर्हकारी परीक्षा के प्रवेश योग्यता प्रतिशत को कम करते हुए वरीयता के निम्नगामी क्रम में आरक्षित नियतांश पूर्ण होने तक प्रवेश दिया जा सकेगा।

6.1.8 आरक्षित वर्ग हेतु आरक्षित स्थान प्रथमतः आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से ही भरे जायेंगे।

6.1.9 यदि संबंधित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो ऐसे आरक्षित रिक्त स्थानों के लिए समाचार पत्र में विज्ञप्ति दी जाये जिसके लिए प्रवेश शुल्क जमा नहीं करवा सकने वाले उसी वर्ग के अभ्यर्थी भी पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।

6.1.10 यदि विज्ञप्ति के सात दिवस में कोई आवेदन पत्र नहीं आता है या कम आवेदन पत्र आते हैं तो अनुसूचित जाति के आरक्षित स्थानों को अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों से तथा अनुसूचित जन जाति के आरक्षित स्थानों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।इसके उपरान्त भी यदि किसी आरक्षित वर्ग के स्थान रिक्त रहते हैं तो उन्हें सामान्य वर्ग के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।

6.1.11 बारां जिले के किशनगंज एवं शाहबाद तहसील के सहरिया अभ्यर्थियों के लिए बारां जिले के राजकीय महाविद्यालय, केलवाडा में शासन उप सचिव, कार्मिक (क–2)विभाग, राजस्थान सरकार के निर्देश क्रमांक प. 13(20)कार्मिक/क–2/91पार्ट जयपुर, दिनांक 12.09.2007 के अनुसार तथा केलवाडा के अतिरिक्त अन्य राजकीय महाविद्यालयों में न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश दिया जायेगा।

6.1.12 महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने के उपरान्त, यदि राज्य सरकार द्वारा सीटों/वर्गों की संख्या में वृद्धि की जाती है, तो उन बढ़ी हुई सीटों/वर्गों के लिए आरक्षण नियमों की पालना करते हुए पृथक प्रवेश सूची जारी की जायेगी।

6.1.13 प्रत्येक संकाय के स्नातक प्रथम भाग की प्रत्येक कक्षा में तथा स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल. के प्रत्येक विषय/कक्षा में बिन्दु संख्या 6.1.1 से 6.1.11 के अनुसार स्थानों का आरक्षण किया जायेगा एवं तद्नुसार पूर्ति की जायेगी।

6.2 दिव्यांग अभ्यर्थी (स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल.)

6.2.1 मूक, बधिर एवं दृष्टिबाधित (Blind) विद्यार्थियों को मनोवांछित महाविद्यालय में मनोवांछित संकाय में न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश दिया जायेगा। ऐसे प्रवेशित विद्यार्थियों की सीटें स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त मानी जावेगी एवं प्राचार्य अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश देने हेतु अधिकृत होंगे।

6.2.2 प्रत्येक संकाय में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों में 5 प्रतिशत स्थान दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु क्षैतिजवर्ती (HORIZONTAL) आरक्षण नियमों के अनुसार आरक्षित रहेंगे।

6.2.3 स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल. में आरक्षण विषयवार होगा। जहां यह संख्या एक से भी कम हो, वहां भी कम से कम एक स्थान आरक्षित रहेगा। दिव्यांग अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रवेश की प्रथम सूची में इसे सामान्य अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।

अति–आवश्यक

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद / निकाशि / प्रवेश नीति / 2016 / 664 दिनांकः 12 मई, 2017

प्राचार्य,
समस्त राजकीय / निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः राज्य सरकार की प्रवेश नीति एवं अकादमी सत्र 2017–18 के लिए प्रवेश प्रक्रिया, सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं छात्रवृत्ति कलैण्डर तथा शिक्षण दिवस सारणी ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य सरकार की प्रवेश नीति एवं अकादमी सत्र 2017–18 के लिए प्रवेश प्रक्रिया, सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं छात्रवृत्ति कलैण्डर तथा शिक्षण दिवस सारणी आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर की बेवसाईट पर अपलोड कर दी गई है, जिसे बेवसाईट से डाउनलोड कर लिया जावे।

भवदीय,

अतिरिक्त आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद / निकाशि / प्रवेश नीति / 2016 / 664 दिनांकः 12 मई, 2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर / अजमेर / कोटा / बीकानेर / जोधपुर / उदयपुर ।
2. बेवसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।

(डा0 बन्दना चक्रवर्ती)
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	**प्रवेश नीति**	
	प्रथम भाग प्रस्तावना एवं उद्देश्य	1–2
	द्वितीय भाग स्नातक पार्ट प्रथम में प्रवेश के नियम	3–6
	तृतीय भाग स्नातकोत्तर एवं एम.फिल. पाठ्यक्रम में प्रवेश के नियम	7–10
	चतुर्थ भाग विधि संकाय में प्रवेश के नियम	11–12
	पंचम भाग सभी संकायों हेतु सामान्य नियम	13–18
	षष्ठ भाग आरक्षण, रियायतें एवं लाभ	19–28
2.	राज्य सरकार का परसेन्टाइल आधारित प्रवेश प्रक्रिया संबंधी आदेश दिनांक 10.06.14 एवं 19.06.14	

षष्ठ भाग

आरक्षण, रियायतें एवं लाभ

6.1 राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर)/विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण

6.1.1 विधि संकाय सहित प्रत्येक संकाय की स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल. के प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी परत को छोडकर) /विशेष पिछडा वर्ग* के अभ्यर्थियों के लिये क्रमशः 16 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 21 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

6.1.2 पिछड़ा वर्ग को प्राप्त 21 प्रतिशत आरक्षण में विशेष पिछड़ा वर्ग भी सम्मिलित है एवं इसके अतिरिक्त विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत का अलग से स्थान देय हैं।

6.1.3 स्नातकोत्तर व एम. फिल कक्षाओं में आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रोस्टर प्रणाली लागू होगी।

6.1.4 आरक्षण संबधी लाभ के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट/उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर/तहसीलदार का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6.1.5 ओ.बी.सी./**एस.बी.सी.** संबंधी प्रमाण–पत्र अधिकृत अधिकारी द्वारा एक बार ही जारी किया जाता है, परन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण–पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण–पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्षों में भी क्रीमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में स्वप्रमाणित शपथ–पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण–पत्र को ही मान लिया जावेगा। ऐसा अधिकतम् तीन वर्ष तक किया जा सकता है। (राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का आदेश क्रमांक एफ11 ( ) ( ) आर एण्ड पी/सा.न्या.अ.वि/12/ 7376–409 दि. 24.01.2013)

6.1.6 सामान्य प्रवेश स्तर तक अंक प्राप्त करके प्रवेश पाने वाले आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की गणना संबंधित आरक्षित नियतांश (कोटे) के अन्तर्गत नहीं की जायेगी। ये सभी सामान्य योग्यता सूची में सम्मिलित किये हुए माने जायेंगे।

6.1.7 6.1.6 के अनुसार प्रविष्ट विद्यार्थियों के अतिरिक्त आरक्षित वर्ग के शेष अभ्यर्थियों को अर्हकारी परीक्षा के प्रवेश योग्यता प्रतिशत को कम करते हुए वरीयता के निम्नगामी क्रम में आरक्षित नियतांश पूर्ण होने तक प्रवेश दिया जा सकेगा।

6.1.8 आरक्षित वर्ग हेतु आरक्षित स्थान प्रथमतः आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से ही भरे जायेंगे।

6.1.9 यदि संबंधित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो ऐसे आरक्षित रिक्त स्थानों के लिए समाचार पत्र में विज्ञप्ति दी जाये जिसके लिए प्रवेश शुल्क जमा नहीं करवा सकने वाले उसी वर्ग के अभ्यर्थी भी पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।

6.1.10 यदि विज्ञप्ति के सात दिवस में कोई आवेदन पत्र नहीं आता है या कम आवेदन पत्र आते हैं तो अनुसूचित जाति के आरक्षित स्थानों को अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों से तथा अनुसूचित जन जाति के आरक्षित स्थानों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।इसके उपरान्त भी यदि किसी आरक्षित वर्ग के स्थान रिक्त रहते हैं तो उन्हें सामान्य वर्ग के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।

6.1.11 बारां जिले के किशनगंज एवं शाहबाद तहसील के सहरिया अभ्यर्थियों को न्यूनतम उत्तीर्णांक पर संबंधित जिले के महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा।

6.1.12 महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने के उपरान्त, यदि राज्य सरकार द्वारा सीटों/वर्गों की संख्या में वृद्धि की जाती है, तो उन बढ़ी हुई सीटों/वर्गों के लिए आरक्षण नियमों की पालना करते हुए पृथक प्रवेश सूची जारी की जायेगी।

6.1.13 प्रत्येक संकाय के स्नातक प्रथम भाग की प्रत्येक कक्षा में तथा स्नातकोत्तर स्तर एवं एम. फिल. के प्रत्येक विषय/कक्षा में बिन्दु संख्या 6.1.1 से 6.1.11 के अनुसार स्थानों का आरक्षण किया जायेगा एवं तदानुसार पूर्ति की जायेगी।

***टिप्पणी– उल्लेखित विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के आरक्षण के संबंध में, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार के नवीनतम निर्देश प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी।**